(12)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां(राजस्थान)

प्रकरण संख्या 53/14 दायरा दिनांक 27.05.2014

पीठासीन अधिकारी :–श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)
बउनवान

राजस्थान सरकार जयै तहसीलदार शाहबाद जिला–बारां (राज.) –प्रार्थी

बनाम

मथुरी पुत्र तिजुआराम जाति जाटव निवासी बुझाई (पारागढ) तहसील नरवर जिला शिवपुरी

–अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. परौकार सरकार – प्रार्थी
2. सोनू मेहता – अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय दिनांक 04.07.2025

प्रार्थी तहसीलदार किशनगंज ने रेफरेन्स केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उनी तहसील शाहबाद की भूमि खसरा नं. 179 रकबा 10.00 बीघा किस्म गै.मु.खाल मुताबिक रिकॉर्ड खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2020–2039 में खाता सरकार में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व कीही भूमि है तथा ऐसी भूमियों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम उनी की भूमि खसरा नं. 179 रकबा 10.00 बीघा संवत 2037 से 2040 पथरू पुत्र रामा जाति चमार निवासी खिरिया के नाम दर्ज हो गई। उक्त आराजी जरिये नामान्तकरण संख्या 171 दिनांक 27.12.1980 से उक्त व्यक्तियों के नाम दर्ज हुई। पथरू की मृत्यु होने पर नामा. संख्या 539 दिनांक 27.05.2000 द्वारा मृतक के पुत्र श्रीलाल के नाम दर्ज हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 757 दिनांक 10.11.2006 से मथुरी पुत्र तिजुआराम जाति जाटव के खाते दर्ज हुई।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्व वतस्थिति में दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावें। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सकें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी के कायम मुकायमान वकिल एक ही बार दिनांक 17.03.2025 को उपस्थित हुये है। प्रकरण में पेरौकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

बहस के दौरान पेरौकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैरमुमकीन आवंटन की गई। वह राजस्थान काश्त कारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है। रेकॉर्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पूर्व वत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावें। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

हमने पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम उनी जिसके खसरा नं. 179 रकबा 10.00 बीघा है। जो किस्म खाल था वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नही है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म खाल का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही निरस्त योग्य है। डी.बी. सिविलजनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति मे दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिये है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम उनी तहसील शाहबाद के खसरा नं. 179 रकबा 10.00 बीघा, भूमि किस्म खाल अप्रार्थी को नियमन/ आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंसा निबन्धक, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार शाहबाद को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करवा कर प्रकरण मे पैरवी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जवर सिंह)
अतिरिक्त कलक्टर
शाहबाद